संख्या: शिक्षा –ईडीएन –एच ई(13)-1/2012 (Pension Instruction)
शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला– 171001 दिसम्बर,2017

सेवामें

1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्च)
हिमाचल प्रदेश ।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०
06 DEC 2017
शिमला – 1

विषय:– छः माह में सेवानिवृत होने वाले सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की विवरणियाँ न भेजने बारे।

ज्ञापन:

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: फिन(पेन)बी(10) –3/2006 –खण्ड–1 दिनांक 01.11.2017 के तहत प्राप्त हुआ है। जिसके अर्न्तगत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप, केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम पेशन मामले उनकी सेवा निवृति के 6 माह पहले अनिवार्य रुप से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जारी किए जाते हैं, परन्तु वर्तमान में ज्यादातर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है तथा अधिकतम मामले सेवा निवृति के माह में या इसके बाद महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त हो रहें हैं। परिणामस्वरुप पेन्शनरों के पेंशनरी लाभ मामले विलम्ब / देरी से निपटाऐ जाते हैं।

उपरेक्त के मध्यनज़र आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि अपने अधिनस्थ सभी सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किऐ जायें कि पैंशन मामले नियमानुसार सेवानिवृति से छः माह पहले महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किए जाएं ताकि उनका निपटान समयानुसार किया जा सके। यह भी सुनिशिचत करें कि महालेखाकार कार्यालय में भेजी गई सभी विवणियों में अधिकारियों कर्मचारियों का **एम्पिड कोड, डी.डी.ओ. कोड जन्म तिथि, फार्म–3 में सभी सदस्यों की वैवाहिक स्थिति एवं जन्म तिथि अकिंत की गई ही जो कि सेवा पंजिका के अनुरुप हो हो तथा सवेच्छा से सेवा–निवृत कर्मचारियों की जन्म तिथि भी अवश्य दर्शाई जाए** ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा सभी पेंशन भेगियों को समय पर उनके देय लाभ जारी किए जा सके।

शिक्षा निदेशक
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन सम संख्या: दिनांक शिमला–171001 दिसम्बर,2017

प्रतिलिपि :

1.अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या: फिन(पेन)बी(10) –3/2006 –खण्ड–1 दिनांक 01.11.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2.निजि सचिव शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश।
3.समस्त शाखा अधिकारी को को आगामी सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4.अधीक्षक महाविद्यालय शाखा, स्थापना शाखा–1 शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश को आगामी सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5.अधीक्षक आइ.टी शाखा को निर्देश दिए जाते हैं कि वेबसाईट पर अपलोड की जाए।
6. रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशक
हिमाचल प्रदेश